



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक 01 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 31/3/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2014 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती) अमिता सहगल	-	सदस्य
3. प्रो. सी. एल. पटेल	-	सदस्य
4. प्रो. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
5. प्रो. बी. के. शर्मा	-	सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
7. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	-	सदस्य
8. डॉ. एम. आई. मेमन	-	सदस्य
9. श्री एस. के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
10. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
11. डॉ. दिनेश मारोटिया	-	सदस्य
12. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

—: कार्यवृत्त :-

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण — श्री ललित सुरजन, डॉ. दिनेश मारोटिया, एवं प्रो. रोहिणी प्रसाद का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद् सदस्य प्रो. ए. के. गुप्ता को कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

विषय क्रमांक-1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक-2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 14.02.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 14.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई :-

1. विगत 03 वर्षों में कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी आगामी बैठक में आयोजित किया जावे।

विषय क्रमांक-3

वित्तीय सत्र 2012-13 का वास्तविक आय-व्यय पत्रक, सत्र 2013-14 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं सत्र 2014-15 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

वित्तीय सत्र 2012-13 का वास्तविक आय-व्यय पत्रक, सत्र 2013-14 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं सत्र 2014-15 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक का निम्नानुसार बिंदुओं का समावेश के साथ अनुमोदन किया गया :-

1. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. - 4 में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 1258.92 लाख के स्थान पर रूपए 1947.11 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
2. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. - 3-D1 Examination Centre कॉलम - 8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 20.00 लाख के स्थान पर रूपए 10.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
3. बजट प्रस्तावना पेज क्रं.- 36 Grant from other Resources के 2a कॉलम -8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 60.00 लाख के स्थान पर 6.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट डॉक्टरल फ़ैलोशिप स्थापित किया जावे। इस हेतु रूपए 20,00,000/- (बीस लाख रूपए मात्र) बजट में प्रावधान किया जावें।
5. स्वर्ण जयंती व्याख्यान प्रतिवर्ष आयोजित किया जावे जिसके लिए बजट में रूपए 5,00,000/- (पांच लाख रूपए मात्र) का प्रावधान किया जावें।
6. अगले बजट में Capital Assets को चिन्हित करते हुए यथास्थान पर उल्लेखित किया जावें।
7. प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा प्रायोगिक उपकरणों एवं स्थायी एसेट्स हेतु रजिस्टर बनायी जावे जिसकी एक प्रति कुलसचिव कार्यालय में भी रिकार्ड हेतु भेजी जावें।

विषय क्रमांक-4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-5

भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-6

जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-7

अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, संबंधी बंद लिफाफा खोला गया। चयनित उम्मीदवार का बायो-डाटा उपलब्ध नहीं था अतः बायोडाटा मंगाकर पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक-8

तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर, भिलाई के परीक्षा केन्द्र के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में मानसेवी सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, भिलाई लोकल सेंटर, इंजीनियर्स भवन, इंदिरा पैलेस, सिविक सेंटर, भिलाई के द्वारा तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर भिलाई के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर तक्षशिला महाविद्यालय का सत्र 2013-14 में घोषित परीक्षा केन्द्र निरस्त करते हुए, महाविद्यालय से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र साईं महाविद्यालय, सेक्टर-6 भिलाई, जिला-दुर्ग किये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2014-15 के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जावे तथा तक्षशिला महाविद्यालय को नोटिस दिया जाए कि क्यों न उनकी संबद्धता समाप्त की जावे।

विषय क्रमांक-9

वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु 08 - नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम राशि रूपए 80,00,000/- (अस्सी लाख रूपए मात्र) का सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-10

श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालयीन टीप पर विचार करना।

निर्णय :

श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के प्रत्येक बिंदुओं का विश्वविद्यालय परिनियम-31 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिए विधिक सलाह प्राप्त की जावे।

—:पूरक विषय सूची :-

विषय क्रमांक-1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:-

1. पी. एफ. के संचालन के लिए प्रस्तावित विनियम विषय-विशेषज्ञों से परीक्षण करा लिया जावे विषय-विशेषज्ञों के अभिमत के अनुसार अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया है।
2. सत्र 2013-14 में निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित शर्तों की पूर्ति के साथ संबद्धता प्रदान किये गये महाविद्यालय के द्वारा शर्तों के पूर्ति के संबंध में, की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।

विषय क्रमांक-2

श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक-3

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किया गया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।



विषय क्रमांक-4

विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009-10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/- छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009-10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/- (दस लाख बाईस हजार एक सौ अन्तानबे रूपए मात्र) छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-5

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3-13/2007/38-2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3-13/2007/38-2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q - 1-5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3-13/2007/38-2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3-13/2007/38-2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q - 1-5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य अकादमी से संबंधित सभी कार्यवाही हिन्दी साहित्य अकादमी के द्वारा ही किया जावे तथा उनके द्वारा वेतन भत्ते, नियुक्ति एवं अन्य सभी के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश सीधे उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

विषय क्रमांक-6

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा RT-PCR एवं HPCL with PDA detector क्रय करने हेतु क्रमशः रूपए 14,42,100/- एवं 10,80,800/- के क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :

फार्मसी विभाग से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा प्राप्त परियोजना अनुदान के अंतर्गत RT-PCR एवं HPCL with PDA detector उपकरण क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुमानित लागत क्रमशः रूपए 14,42,100/- (चौदह लाख ब्यालीस हजार एक सौ रूपए मात्र) एवं 10,80,800/- (दस लाख अस्सी हजार आठ सौ रूपए मात्र) पर में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही करने के पश्चात् क्रय के लिए प्रशासनिक एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु सी. एस. ई. बी. रायपुर के मांग पत्र के अनुरूप संलग्न पत्र के अनुसार कुल राशि रूपए 20,19,810/- सी. एस. ई. बी. रायपुर को भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु छ. ग. रा. वि. वि. मर्यादित डी. डी. नगर जोन डंगनिया, रायपुर के अनुरूप कुल राशि रूपए 20,19,816/- (बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सोलह रूपए मात्र) भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

—:अध्यक्ष की अनुमति से :-

- 1.1 विश्वविद्यालय की कला भवन, लायब्रेरी भवन एवं गेस्ट हॉउस में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवन के लिए नए ट्रांसफार्मर 200 के. वी. ए. क्षमता का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर के द्वारा मांग की गई राशि रूपए 6,02,549/- (छः लाख दो हजार पांच सौ उन्चास रूपए मात्र) का भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- 1.2 विश्वविद्यालय के फार्मसी संस्थान, एम. बी. ए. भवन, विज्ञान भवन एवं कम्प्यूटर विज्ञान भवन में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवनों के लिए (03) नए नए ट्रांसफार्मर क्रमशः 63 के. वी. ए., 100 के. वी. ए. एवं 100 के. वी. ए., क्षमताओं का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर द्वारा किया गया है जिसके लिए उनके द्वारा मांग की गई राशि रूपए 7,85,493/- (सात लाख पच्चासी हजार चार सौ तिरानबे रूपए मात्र) भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
2. IQAC के द्वारा IAO को उनके मांग के अनुसार 3 वर्ष अवधि के लिए प्रस्तावित एकीडेसन शुल्क राशि रूपए 2,50,000/- (दो लाख पच्चास हजार रूपए मात्र- \$ 4000) का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति दी गई।
3. स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए श्री मेहताब अहलूवालिया द्वारा तैयार किये गये Logo, स्थापना दिवस 1 मई 2013 को आयोजित कार्यक्रम में स्वीकार करते हुए प्रथम प्रसारण किया गया। श्री मेहताब अहलूवालिया को प्रमाण पत्र के साथ रूपए 11,000/- (ग्यारह हजार रूपए मात्र) मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. संचालक IQAC द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अंकेक्षण, वाटर फूटप्रिंट एवं कार्बन फूटप्रिंट एसेसमेंट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

:- अन्य निर्णय :-

1. स्थापना दिवस 01 मई 2014 को श्री श्रीकुमार बेनर्जी, पूर्व अध्यक्ष B.A.R.C के द्वारा मुख्य अतिथि के लिए सहमति प्रदान करने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
2. यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत-समारोह के लिए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप 20 वाँ दीक्षांत-समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति, भारत गणराज्य को ही आमंत्रित किया जाना है। वैसे भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय की ही उपस्थिति में उनकी सहमति की प्रतीक्षा में लंबित है। अतः उनकी सुविधानुसार तिथि पर जून-जुलाई-अगस्त, 2014 को किसी भी तिथि में उनकी सहमति पर निर्धारित किया जावे।
3. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण विद एवं जल संरक्षण विद श्री अनुपम मिश्र को पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।
4. श्री भरत झुनझुनवाला अर्थशास्त्री एवं स्वतंत्र स्तंभकार एवं परामर्श दाता को स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।



कुलपति

अध्यक्ष

पृ. क्रमांक 02 / अका. / का.प. / 2014

प्रतिलिपि :-



कुलसचिव

सचिव

रायपुर, दिनांक 31/3/2014

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कुलसचिव